समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण कं. 48अ6/13-14

अरविन्द मुखरैया पुत्र श्री तुलसीराम
आयु 45 वर्ष व्य. काश्तकारी निवासी
आलापुर तह. पथरिया, जिला दमोह.

.... पुनरिक्षणकर्ता

विरुद्ध

अशोक कुमार तिगनाथ पुत्र श्री भवानी
प्रसाद तिगनाथ आयु 40 साल, व्य.
काश्तकारी निवासी ग्राम सहजपुर तह.
तेंदुखेडा जिला दमोह

.....उत्तरदाता

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता

महोदय

माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरिक्षण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय न्यायालय पथरिया जिला दमोह के राजस्व अपील प्रकरण कं. 48अ6/13-14 अशोक कुमार तिगनाथ विरुद्ध सर्वसाधारण में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी पथरिया के आदेश दिनांक 29/9/2015 के आंशिक आदेश से परिवेदित होकर एवं आदेश दिनांक 19/10/15 से परिवेदित होकर यह पुनरिक्षण विधि के सारबान तथ्यों पर पुनरिक्षणकर्ता द्वारा सादर प्रस्तुत है ।

पुनरिक्षण के तथ्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3618-II/15 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–11–2015	मेरे द्वारा प्रकरण में कायमी पर विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा नस्ती में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । निगराकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया गया कि स्वर्गीय राधाबाई निगराकार अरविन्द की चाची थी । गैर निगराकार अशोक, जो स्वर्गीय राधाबाई की बहन का पुत्र है, ने राधाबाई की वसीयत के आधार पर तहसील में नामांतरण हेतु प्रकरण दायर किया था, जिसके निर्णय के विरूद्ध अरविन्द ने अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया, जिला दमोह के समक्ष अपील की थी । इस अपील प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–2–15 को प्रकरण तर्क हेतु नियत कर दिया गया है, जबकि उन्हैं प्रति परीक्षण हेतु प्रकरण में अवसर देना था । विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह प्रति परीक्षण उन व्यक्तियों का किया जाना था, जिसका प्रति परीक्षण तहसीलदार के समक्ष नहीं हो पाया । 2/ तर्क के बिन्दुओं पर एवं उपलब्ध अभिलेख के परिशीलन के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया एक बोलता हुआ आदेश 29–9–15 को पारित किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गैरनिगराकार अशोक की साक्ष्य हुई है, जिसका प्रति परीक्षण उनके न्यायालय में 29–6–15 को हुआ है तथा 13–7–15 को भी प्रति परीक्षण के लिये प्रकरण नियत किया गया है। हालांकि इसके बाद दिनांक 19–10–15 को उन्होंने अपने न्यायालय की आदेश	

अरविन्द/अशोक

R.3618/11/15 स्मोद

पत्रिका में यह लिखा है कि जिन पक्षकारों के साक्ष्य उनके समक्ष नहीं हुई है, उनका प्रति परीक्षण उनके सामने नहीं कराया जा सकता । मैं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन व्यक्तियों का प्रति परीक्षण अपने समक्ष नहीं कराने के निर्णय के संबंध में , जिनकी साक्ष्य तहसीलदार के समक्ष हुई है किन्तु उनके (अनुविभागीय अधिकारी के) समक्ष नहीं हुई, प्रथम दृष्टया त्रुटि नहीं पाता हूँ । किन्तु, इसके प्रकाश में विचारोपरान्त यह भी पाता हूँ कि ऐसा होने से उभयपक्ष को अपने पक्षसमर्थन का ~~पूर्ण समर्थन का~~ पूर्ण अवसर नहीं मिल पा रहा है । अतः, मैं इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालयीन अपील प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व उभयपक्ष को साक्ष्य एवं प्रति परीक्षण हेतु पूर्ण अवसर दें ताकि विधिक एवं नैसर्गिक न्याय के उद्देश्य भली–भांति सेवित हो सकें । साथ ही तहसील न्यायालय के अभिलेख के परीक्षण के आधार पर यदि अनुविभागीय अधिकारी यह पाते हैं कि तहसील न्यायालय में किन्हीं पक्षकारों को साक्ष्य अथवा प्रति परीक्षण का समुचित अवसर नहीं मिला है तो वे इस बिन्दु पर भी न्यायपूर्ण निर्णय लें एवं न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यवाही करें। इस प्रकार समस्त कार्यवाही करने के उपरान्त, अनुविभागीय अधिकारी अपने न्यायालय में बोलता हुआ आदेश पारित करना सुनिश्चित करें । इस न्यायालय का यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा0रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य